<u>प्रेस नोट दिनांक- 30.08.2025</u>

<u>थाना धानापुर जनपद चन्दौली</u>

🔷 **थाना धानापुर पुलिस टीम द्वारा रिटायर कर्मी के खाते से कूटरचित एवं बेईमानी पूर्वक एटीएम प्राप्त कर एटीएम के माध्यम से 1700000/- (सत्रह लाख रूपये) निकालने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

<u>पूर्व की घटना का विवरण-</u>थाना स्थानीय पर वादी इन्द्रजीत पुत्र स्व0 मिट्ठू राम निवासी ग्राम हिगुतरगढ़ थाना धानापुर जनपद चन्दौली के खाते से रिटायरमेंट में प्राप्त 1700000/- (सत्रह लाख रूपये) को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कूटरचित व बेईमानी पूर्वक उनके नाम पर एटीएम लेकर खाते में से करीब 1700000/- (सत्रह लाख) रूपये निकाल लेने की घटना घटित हुई। जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 157/24 धारा 409 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें जांच एवं विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी।

<u>चंदौली-</u> आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने जाने हेतु व अपराध में सम्मिलित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(IPS) अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शरद गुप्ता के नेतृत्व में उ0नि0 सूरज सिंह चौकी प्रभारी भदाहूं मय पुलिस टीम द्वारा उक्त मुकदमें से सम्बन्धित सभी तथ्यों पर जांच की जा रही थी तथा खाते से सम्बन्धित समस्त जानकारी बैंक स्टेटमेंट, कैफ सीडीआर आदि का विश्लेषण व विवेचनात्मक कार्यवाही में कुछ व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आय़ा । जिसमें रविकान्त पुत्र रामलखन निवासी ग्राम लोकुवा थाना धानापुर जनपद चन्दौली व नितिन कुमार दिव्यांत पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम टीकापुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को थाना पर तलब कर पूछताछ एवं जानकारी करने का प्रयास किया गया तो आनाकानी करने लगे तथा आरोपों से इनकार करने लगे, जिन्हें उनके द्वारा किये गये कृत के सम्बन्ध में समस्त इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को दिखाया गया तथा पूछताछ में बताया कि-

<u>पूछताछ अभियुक्तगण–</u>

पूछताछ के दौरान रविकान्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा एक सिम दिनांक 01.12.2021 को सिम विक्रेता मनतेरस कुमार निवासी ग्राम लोकुवा से लिया गया था, सिम को कुछ दिन प्रयोग किया गया । सिम विक्रेता मनतेरस ने मुझसे कहा कि विरेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जो मेरे गांव के बगल का रहने वाला है वह एसबीआई बैंक में क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करता है, उसने एक सिम कार्ड मांगा

है जिसका वह अपने तरीके से प्रयोग कर धन अर्जित करेगा जिसमें मेरा और सिम देने वाले का भी हिस्सा मिलता रहेगा। पैसे कमाना चाहते हो तो तुम अपना सिम मुझे दे दो जो काम किया जायेगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा बनेगा। मैंने अपना सिम मनतेरस को दे दिया और बदले में मुझे मनतेरस ने तत्काल 2000 रूपये दिया।
तथा नितिन कुमार दिव्यांत ने पूछताछ में बताया कि मेरा ननिहाल ग्राम टीकापुर वर्दीसाड़ा थाना सकलडीहा में है, वहीं पड़ोस में ही विरेन्द्र कुमार उर्फ बुल्लू पुत्र बाबूलाल का घर है, जो एसबीआई बैंक धानापुर में क्रेडिट कार्ड का काम करता है उसने मुझे एक डेबिट कार्ड एटीएम जिस पर इन्द्रजीत लिखा हुआ दिया था, उसने मुझसे कहा कि इस एटीएम कार्ड के खाते में करीब सत्रह लाख रूपये के आसपास हैं, जो किसी और का खाता है मैंने बहुत ही चालाकी व बेईमानी से उसके खाते में कूटरचित कर मोबाईल नम्बर को बदल कर मेरे पास मौजूद सिम का नम्बर रजिस्टर्ड करवा दिया हूं, यदि तुम मुझे पूरे पैसे एटीएम से निकालकर दे दोगे तो मैं 40 परसेंट तुम्हें दे दूंगा और किसी को पता भी नही चलेगा की पैसे किसने निकाले थे। मैं इस लालच में आ गया और मैं एटीएम से सकलडीहा, मुगलसराय, बलुआ, वाराणसी आदि कई जगहों व राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कई जगहों से 10000-10000 (दस-दस हजार रूपये) करके प्रतिदिन की लिमिट 40000/- (चालीस हजार रूपये) के हिसाब से करीब 4 माह में कैश निकालकर कुछ कैश के रूप में व कुछ अकाऊंट में जो कि विरेन्द्र कुमार उर्फ बुल्लू द्वारा मुझे बताया गया था जो विरेन्द्र के बडे भाई, विरेन्द्र की पत्नी ,व उसके पिता के खाते में मेरे द्वारा कैश डिपाजिट किया गया था। इस काम के लिये मुझे लगभग तीन लाख साठ हजार रूपये मिले थे। जिसे मैंने डीएलडब्ल्यू वाराणसी से कैश के माध्यम से अपने एसबीआई बैंक के खाते में जमा किया था। जिसका उपभोग मैं अपने भोग विलास खाने पीने मौज में व होण्डा एक्टिवा स्कूटी, फ्रिज आदि जरूरत का सामान खरीदने में तथा पत्नी के इलाज में खर्च कर दिया, बाकी सारा पैसा विरेन्द्र कुमार ने लिया था।
अभियुक्त रविकान्त व नितिन कुमार दिव्यांत उपरोक्त को उनके अपराध का बोध कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर आज दिनांक 30.08.2025 को समय करीब 11.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.रविकान्त पुत्र रामलखन निवासी ग्राम लोकुवा थाना धानापुर जनपद चन्दौली उम्र 29 वर्ष
2.नितिन कुमार दिव्यांत पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम टीकापुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र 28 वर्ष

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 शरद गुप्ता धानापुर जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 सूरज सिंह चौकी प्रभारी भदाहूं थाना धानापुर जनपद चन्दौली

3.क0आ0 अनुराग गुप्ता सीसीटीएनएस थाना धानापुर जनपद चन्दौली

4.हे0का0 संजय कुमार थाना धानापुर जनपद चन्दौली

5.का0 मनोज कुमार यादव थाना धानापुर जनपद चन्दौली

6.का0 सोनू यादव थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

🚨 **थाना सैयदराजा पुलिस टीम व आर0पी0एफ0 के संयुक्त कार्यवाही के दौरान ट्रेन से परिवहन कर गैर प्रान्त ले जाये जा रहे 121 पेटी अवैध शराब (अंग्रेजी/देशी/बीयर-कुल मात्रा 1140 लीटर) के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया।**

🚨 **बरामद अवैध अंग्रेजी/देशी शराब/बीयर की अनुमानित कीमत 8 लाख/- रुपये-**

चंदौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में शराब/मादक तस्करी व गौ-तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार यादव मय हमराह व उ0नि0 इन्द्रकुमार RPF (मानसनगर) DDU द्वारा जरिए दूरभाष सूचना के आधार पर दिनांक 30.08.2025 को समय सुबह करीब 04.15 बजे नौबतपुर रेलवे लाइन पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान अवैध ब्लू लाइम देशी शराब 100 पेटी, अंग्रेजी शराब रायल स्टैग 04 पेटी व हेवडर्स 5000 बोल्ड स्ट्रांग बीयर 17 पेटी कुल मात्रा 1140 लीटर की बरामदगी करते हुए मौके से एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा नौबतपुर पुलिया से चैन पुलिंग कर अवैध शराब को ट्रेन से परिवहन कर गैर प्रान्त ले जाये जा रहा था।
उपरोक्त बरामद की अनुमानित कीमत लगभग 800000/- (आठ लाख रुपये) है। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा पर मु.अ.सं. 249/2025 धारा 60/63 उ0प्र0 उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रंजीत कुमार यादव पुत्र बृहस्पति यादव निवासी ग्राम जवडा महसू थाना अम्बा जिला औरंगाबाद बिहार

विवरण बरामदगी-

1. अवैध ब्लू लाइम देशी शराब 100 पेटी, अंग्रेजी शराब रायल स्टैग 04 पेटी व हेवडर्स 5000 बोल्ड स्ट्रांग बीयर 17 पेटी कुल मात्रा 1140 लीटर।

2.01 एन्ड्रायड मोबाइल फोन

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

2.03उ0नि0 संतोष कुमार यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 राम कुमार दुबे थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

4.का0 गुंजन तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
5.का0 मनिराम दुबे थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
6.का. बिष्णु प्रजापति सैयदराजा जनपद चन्दौली

आर0पी0एफ0 टीम-

1.उप निरीक्षक इन्द्र कुमार RPF पोस्ट मानसनगर डीडीयू
2.उप निरीक्षक राजेश कुमार चंद RPF पोस्ट मानसनगर डीडीयू
3.आरक्षी धर्मेंद्र कुमार सिंह RPF पोस्ट मानसनगर डीडीयू
4.प्रधान आरक्षी बिनोद कुमार यादव सीआईबी डीडीयू
5.सहायक उप निरीक्षक योगेन्द्र बहादुर सिंह RPF पोस्ट मानसनगर डीडीयू।

थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

🚨 **थाना मुगलसराय द्वारा जहरखुरानी कर पीडित का मोबाइल व पर्स छिनकर फरार होने वाले तीन शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**

🚨 **अभियुक्तो द्वारा पीड़ित के खाते से यू.पी.आई. व ए.टी.एम से 89100/- ₹ का ट्रांजेक्शन किया गया था**

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक-30.08.2025 को थाना मुगलसराय पर वादी श्रीराम सिंह पुत्र स्व. रामनारायण निवासी डबरिया थाना धानापुर, चन्दौली द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 19.08.2025 को समय 18:00 बजे के करीब वादी का पुत्र रितेश सिंह शाहजहांपुर अपनी ड्यूटी जाने के लिए मुगलसराय से वाराणसी के लिए एक आटो रिजर्व किया गया। आटो रिजर्व करने के बाद भी आटो चालक द्वारा रितेश (पीड़ित) के बार बार मना करने पर दो अन्य लोगो को बैठा लिया गया तथा रास्ते में कोल्ड-ड्रिंक में नशा मिलाकर पिला दिया गया। नशा होने पर रितेश (पीड़ित) द्वारा नशे की बात कहकर विरोध करने पर आटो चालक द्वारा साथ में बैठे दो अन्य लोगो के साथ मिलकर गाली-गलौज व मारपीट की गई तथा पीड़ित का पर्स व मोबाईल छिनकर चन्दासी कोयला मंडी के पास आटो से धक्का देकर नीचे फेक दिया गया, पीड़ित घटना के बाद वाराणसी और वहा से शाहजहांपुर अपनी ड्यूटी पर चला गया था। पीड़ित के छीने गये मोबाईल से 90000/- ₹ का ट्रांजेक्शन किया गया है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना मुगलसराय पर मु.अ.सं. 427/25 धारा 123/309(4)BNS व 66D IT ACT पंजीकृत किया गया।

चंदौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने जाने हेतु व अपराध में सम्मिलित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्णमुरारी शर्मा के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय गगनराज सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 30.08.2025 को निरी0 राजेश कुमार मिश्र मय पुलिस टीम मु0अ0स0 427/025 धारा-123,309(4) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना मुगलसराय से सम्बन्धित अभियोग में प्रकाश में आये चन्द्रप्रकाश पुत्र शिवबालक निवासी हनुमानपुर शाहकुट्टी चमरौटी मुगलसराय को गिफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान घटना में संलिप्त 02 अन्य अभियुक्त 2.सुरज कुमार पुत्र रमेशर राम निवासी- फगुहिया, थाना चन्दौली 3.आकाश गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता निवासी बिछडी़ थाना अलीनगर चन्दौली को आटो स्टैंड के परास से गिरफ्तार किया गया तथा 01 अन्य

सहयोगी आकाश सोनकर मौके से फरार हो गया। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पुछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त चन्द्रप्रकाश उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.08.2025 को मै अपने आटो नंबर UP 67 BT 0995 के पास शाम को मुगलसराय स्टेशन से वाराणसी जाने हेतु मुगलसराय आटो स्टैंड पर खड़ा था कि एक अज्ञात यात्री ने मेरा आटो वाराणसी जाने हेतु रिजर्व किया। उसको आटो मे बैठाकर और अपने दोस्त आकाश सोनकर व आकाश गुप्ता को बुलाया और बताया कि एक व्यक्ति मेरे आटो मे बैठा है आ जाओ उन दोनो को यह बताते हुये कि तुम दोनो आटो मे बैठ जाओ और इसे देखते रहो। मै कोल्ड ड्रिंक मे नशीली दवा मिलाकर ला रहा हू। जिसे पिलाकर बेहोस होने पर इसे आगे ले जाकर लूट लिया जायेगा और मै कोल्ड ड्रिंक लाया और बनारस के लिये जाते समय यात्री ने मेरे दो अन्य दोस्तो को आटो मे बैठने का विरोध किया तो मैने समझाया कि मेरे दोस्त है कुछ दुर आगे उतर जायेंगे और यात्री से कोल्ड ड्रिंक पीने के लिये अनुरोध किया । उसके द्वारा मना किया गया कई बार अनुरोध करने पर पी लिया। पीने के कुछ देर बाद उसको नशा हो गया । हम तीनो मिलकर उसे मारपीट कर उसका पर्स व मोबाइल छिन लिया गया । उसी समय हमारा 01 अन्य सहयोगी चन्द्रप्रकाश भी वहा आ गया हम सभी लोगो ने मिलकर चन्धासी के पास यात्री को फेक दिया और हम सभी लोग आटो मे बैठकर भाग गये तथा मैने उसके मोबाइल का पिन नंबर देखा था।। उसी से चन्द्रप्रकाश के एकाउंट मे 32500 /- रुपया भेज दिया और चन्द्रप्रकाश को हम सभी लोगो ने भेजा कि तुम जाओ ATM से पैसा निकालकर ले आओ । चन्द्रप्रकाश गया और हम तीनो स्टेशन के पास रुक गये। चन्द्रप्रकाश 20 हजार लेकर आया जिसको हम चारो आपस मे बाँट लिये। फिर आकाश सोनकर के बताये स्कैनर पर 8 हजार भेज दिया। उसके बाद यात्री का मोबाइल आकाश सोनकर ले लिया। आकाश सोनकर द्वारा और पैसा कई जगह ट्रान्सफर कर निकाला गया जिसमे आकाश सोनकर द्वारा हम लोगो को और पैसा दिया गया है जिसमे कुल 12 हजार मुझे मिला है जो मेरे पास है । दुसरे ने अपना नाम आकाश गुप्ता बताया और उपरोक्त घटना का समर्थन करते हुये बताया कि हम सभी चारो लोग मिलकर योजना बनाकर कोल्डड्रीक मे नशा देकर मारपीट कर मोबाइल व पर्स छिनकर यात्री को चन्धासी में आटो से फेक दिये । मुझे 10 हजार हिस्सा मिला है । जो मेरे पास है चन्द्रप्रकाश ने पूछताछ पर स्वीकारा कि मै भी इस घटना में शामिल था और लूटपाट मारपीट में मौजूद था मुझे 10 हजार रुपया हिस्सा मिला है जो मेरे पास है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.सुरज कुमार पुत्र रमेशर राम नि. फगुहिया थाना चन्दौली

2.आकाश गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता नि. बिछडी थाना अलीनगर चन्दौली
3.चन्द्रप्रकाश पुत्र शिव नि. हनुमानपुर थाना मुगलसराय चन्दौली

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 427 /25 धारा – 123/309(4) B.N.S. व 66D I.T. ACT थाना मुगलसराय

बरामदगी का विवरण-

कुल 20000 रुपए नकद बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
निरीक्षक राजेश कुमार मिश्रा
हे0का0 हरेन्द्र प्रसाद।

ऑपरेशन कन्विक्शन

◆ **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।**

◆ **मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्री परितोष श्रेष्ठ FTC प्रथम चन्दौली द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा रुपए 20000 का अर्थ दंड से दंडित किया अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 147 में 1 वर्ष का कारावास हुआ तथा ₹1000 अर्थ दंड ,अर्थ दंड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 148 के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास तथा ₹1000 जुर्माना अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कर आवास तथा धारा 25/27 आर्म्स एक्ट मैं अभियुक्त केसरी सिंह वह धर्मराज सिंह को 3 साल का कारावास तथा ₹10000 जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

जनपद चन्दौली थाना बलुआ के मुकदमें मे दोषसिद्ध का विवरण

1-दिनांक 7.02.2009 को धारा 147/148/149/302 IPC 25/27 Arms Act के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.केशरी सिंह पुत्र राम किशुन सिंह 2. सुनील सिंह पुत्र जनार्दन सिंह 3. अजीत सिंह पुत्र गोपाल सिंह 4. संतोष पुत्र लक्ष्मी सिंह 5.धर्मराज सिंह पुत्र राम लखन सिंह समस्त निवासीगण ग्राम महुअर कला थाना बलुआ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 25/09, 28/09, 36/09 धारा 147/148/149/ 302 IPC 25/27 Arms Act में पंजीकृत किया गया।

आदित्य लांग्हे,पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी व श्री अवधेश पांडे (अपार शासकीय अधिवक्ता) व थाना बलुआ के पैरोकार हे0का० नागेंद्र की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 30.08.25 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्री परितोष श्रेष्ठ FTC प्रथम चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.केशरी सिंह पुत्र राम किशुन सिंह 2. सुनील सिंह पुत्र जनार्दन सिंह 3. अजीत सिंह पुत्र गोपाल सिंह 4. संतोष पुत्र लक्ष्मी सिंह 5.धर्मराज सिंह पुत्र राम लखन सिंह निवासीगण ग्राम

महुअर कला थाना बलुआ को धारा 302/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा रुपए 20000 का अर्थ दंड से दंडित किया अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा धारा 147 में 1 वर्ष का कारावास हुआ तथा ₹1000 अर्थ दंड ,अर्थ दंड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 148 के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास तथा₹1000 जुर्माना अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कर आवास तथा धारा 25/27 आर्म्स एक्ट मैं अभियुक्त केसरी सिंह वह धर्मराज सिंह को 3 साल का कारावास तथा ₹10000 जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।